सं0–775/उन्तीस(2)/05–2(48पे0)/2006

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 16 मई 2006

विषयःवित्तीय वर्ष 2006–07 में केन्द्रपोषित त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्लूएसपी) के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल की मैठाणा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना की प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1131/अप्रैजल–पौड़ी दिनांक 31.03.2006 के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद जनपद पौड़ी गढ़वाल की मैठाणा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के रू0 276.12 लाख के प्राक्कलन पर टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 240.30 लाख (रू0 दो करोड़ चालीस लाख तीस हजार मात्र) की लागत के आगणन पर केन्द्रपोषित त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्लूएसपी) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल प्रशासकीय एव वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरें जो शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नॉर्म है। स्वीकृत नॉर्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

क्रमशः.2

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

7– कार्य करने से पूर्व स्थल की भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले। स्थल निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद की धनराशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

10–कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

11–कार्यो में सैन्टेज/कन्टीजैंसी व्यय वर्तमान में प्रचलित शासकीय दर रे नियमानुसार ही लिया जायेगा।

12–योजना को स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा तथ किसी भी दशा में पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकार्य नहीं होगा।

13–जी0पी0डब्लू0 फार्म–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को का सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिश की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल कि जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–27/XXVII(2)/20 दिनांक 01 मई, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

क्रमश

पृ0सं0 775/ उन्तीस(2)–2(48पे0) / 2006,तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, पौडी।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान देहरादून ।
5. वित्त अनुभाग–2 / वित्त(बजट सैल) / नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
7–मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय–घोषणा अनुभाग।
8. स्टाफऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11 .गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव